Multidisciplinary International Magazine
(Peer-Reviewed)
ISSN: 2454-2725, Impact Factor: GIF 1.888
www.jankriti.com
Volume 6, Issue 69-70, Jan-Feb 2021

JANKRITI जनकृति

बहु-विषयक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका
(विशेषज्ञ समीक्षित)
ISSN: 2454-2725, Impact Factor: GIF 1.888
www.jankriti.com
वर्ष 6, अंक 69-70, जनवरी-फरवरी 2021

भारतीय लोकतंत्र में नारी सहभागिता: मिथक या सत्य

दीपिका सिंह
सहायक आचार्य (राजनीति शास्त्र)
श्री वेंकटेश्वर कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)
deepika.yashvi@gmail.com
9873495217

सार

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को एक भारतीय नागरिक के रूप में समानता का अधिकार देता है और राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव, अवसर की समानता, समान काम के लिए समान वेतन जैसे कतिपय उपचारों के रूप में प्रतिबिंबित होता है। इस परिप्रेक्ष में यह ध्यान में लाना आवश्यक है कि भारतीय सन्दर्भ में महिलाओं को प्रदान की जाने वाली इन संवैधानिक प्रतिभूतियों को केवल सुशासन के माध्यम से ही संरक्षित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि शासन में राजनीतिक सहभागिता, पारदर्शिता और वैधानिक प्रावधानों को अपनाते हुए समानता और समावेशिता जैसे माध्यमों पर अधिक से अधिक बल देकर नारी के सशक्तिकरण को सुदृढ़ किया जाए। यद्यपि भारत में महिलाओं को भारतीय संविधान के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक अधिकारों से संपन्न किया गया है, लेकिन फिर भी वे समाज की मुख्यधारा और संकीर्ण राजनीतिक हितों के कारण राजनैतिक सन्दर्भ में एक तरह से हाशिए पर हैं।

प्रस्तुत लेख में सामाजिक-राजनीतिक प्रेरकों द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए संवैधानिक उपायों और राजनीति में महिलाओं की वस्तुस्थिति पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस लेख में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आरक्षण-प्रावधानों, संसदीय कार्यवाहियों जैसे प्राथमिक स्रोतों और पत्र-पत्रिकाओं तथा समाचार लेखों में उपलब्ध आंकड़ों विषयक द्वितीयक स्रोतों को आधार बनाया गया है।

बीज शब्द: - *लोकतंत्र, महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण, पंचायती राज व्यवस्था, सुशासन।*

'महिला सशक्तिकरण' से आशय महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुदृढ़ता को समृद्ध करने से है। उदार नारीवादियों के दृष्टिकोण से महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने से है, जिस निमित्त किसी भी समाज द्वारा प्रदत्त राजनीतिक सशक्तिकरण का महत्व सबसे अधिक होता है। 1869 ई० में *"ऑन द सब्जैक्शन ऑफ़ वीमेन"* में जॉन स्टुअर्ट मिल और हेरिएट टेलर ने महिलाओं के सन्दर्भ में समान नागरिकता और राजनीतिक अधिकारों को प्रगाढ़ करने पर विशेष बल दिया। हालाँकि इस सन्दर्भ में यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि यह पूरा मताधिकार आंदोलन, उदारवादी व्यक्तिवाद के सिद्धांत पर आधारित था, जिसे महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार प्रदान करने और नारी को बंधनों से मुक्त कर ही अर्जित किया जा सकता था।

इस प्रसंग में यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि वैश्विक परिपेक्ष्य में ग्रीक काल से ही नारी की स्थिति शोचनीय रही है। अरस्तू ने इस बात पर बल दिया है कि क्योंकि एक नारी, एक पुरुष की भांति

अवसरों का लाभ लेने में असमर्थ होती है, इसलिए उसे राजनीतिक क्षेत्र में या सार्वजनिक तौर पर किसी निर्णायक भूमिका का निर्वहन करने नहीं दिया जा सकता। महिलाओं को सार्वजनिक परिधि से बाहर रखा जाना, उसके अनुसार इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि उसमे वैचारिक स्तर पर निर्णय लेने और अधिकारों के उपयोग करने की क्षमता का अभाव होता है। अरस्तू के अनुसार राजनीतिक जीवन, सार्वजनिक रूप से उन लोगों को ही सहभागिता की अनुमति प्रदान करता था जो की अवकाश, समय और संपत्ति सभी दृष्टियों में समान थे और स्वयं को इसके साथ सम्बद्ध करते हुए, उचित-अनुचित विषयों पर खुल कर अपना मत रख सकते थे। ग्रीक दार्शनिकों के अनुसार महिलाओं में इस तरह की योग्यता का सर्वथा अभाव होता है, जिस कारण वह प्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक भूमिका का निर्वहन करने के अयोग्य होतीं हैं।

भारतीय महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता: ऐतिहासिक पुनरावलोकन

भारतीय महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनके द्वारा निभायी गयी विशेष भूमिका के परिपेक्ष्य में अच्छी तरह से समझा जा सकता है। भारतीय नारी प्रथम विश्वयुद्ध के काल से ही, राजनीति के विविध क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों और गत्यात्मकता से विधिवत परिचित रही थी। इस सन्दर्भ में एक तथ्य को रेखांकित किया जाना अति आवश्यक है कि वस्तुतः यही वह दौर था जब भारत में विभिन्न महिला संगठनों का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त इस कालखंड में एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू जैसी कुछ महिला नेत्रियाँ भी उभर कर सामने आई, जिन्होंने सामान्य जन को राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक भारतीय जन की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उनके द्वारा की गयी राजनीतिक सहभागिता को एक आवश्यकता के रूप में लेने पर बल दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तदन्तर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों में, उनके द्वारा निर्वाहित भूमिका का विश्लेषण करके अच्छी तरह समझा जा सकता है।

गांधीजी द्वारा चलाये गए असहयोग आंदोलन (1920-1921) में, मुंबई में लगभग 144 महिला प्रतिनिधियों ने 'महिला संघ' के निकाय के रूप में भाग लिया। यह संघ राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं द्वारा अधिक सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रतिबद्ध था। यह एक ऐसा पहला महिला संगठन था, जो बिना पुरुषों के समर्थन के चलाया गया था। इसके दो उद्देश्य थे: -

1. स्व-शासन और
2. महिलाओं का उत्थान।

असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षित और उदार भारतीय परिवारों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी महात्मा गांधी से जुड़ीं। इनमें राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सरला देवी, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, सुशीला नायर और अरुणा आसफ अली जैसे व्यक्तित्वों के नाम प्रमुख हैं। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागृति केवल नगरीय महिलाओं तक ही सीमित नहीं थी, वरन यह ग्रामीण और श्रमिक वर्ग तक विस्तृत थी। 1920 के दशक में श्रमिकों आंदोलनों के परिणामस्वरूप विभिन्न ट्रेड यूनियनें उभर कर सामने आई और इन श्रमिक-आंदोलनों में, महिलाओं की सहभागिता विशेष तौर से दर्ज की गई। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि इन श्रमिक आंदोलनों ने महिलाओं के लिए एक ऐसे अनुकूल वातावरण की उपलब्धता के लिए संघर्ष किया, जो विशेषतः कारखानों में काम करती थीं या फिर चिकित्सक, बाल-विद्यालय या क्रेच में कार्यरत थीं।

सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रादुर्भाव 1928 में हुआ और इस आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता ऐतिहासिक रूप से देखी गई। इस आन्दोलन में भारतीय महिलाओं द्वारा निभायी गयी विशेष भूमिका, न केवल भारतीय महिलाओं के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वरन इसका वैश्विक सन्दर्भ में भी महत्व है। महिलाओं द्वारा इस आन्दोलन के उपक्रम में घेराबंदी (पिकेटिंग) और खुले विरोध विषयक जिन कार्यक्रमों को बम्बई में बड़े पैमाने पर आकार दिया गया, उसने अंगेजों द्वारा भारतियों के किये जा रहे उत्पीड़न को प्रतिबिंबित किया। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बम्बई-निवासियों में पारसी और ईसाई समुदायों द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर बढ़-चढ़ कर कार्य किये गए थे। 'राष्ट्रीय स्त्री संघ', सरोजिनी नायडू, गोशीबेन नौरोजी कैप्टन और अवंतीकबाई गोखले के नेतृत्व में 'स्वराज' और 'महिलाओं की स्वतंत्रता' जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति अग्रसर था। जब नमक क़ानून को तोडा गया तो कमलादेवी चट्टोपाध्याय और अवंतिकाबाई गोखले जैसी महिला नेत्रियाँ न केवल इसमे सम्मिलित हुई वरन उन्होंने गांधीजी के आह्वान पर आधिकारिक रूप से नमक कानून को भी तोडा।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में आविर्भूत 'भारत छोड़ो आंदोलन' में महिलाओं ने पूरे मनोवेग और उत्साह से भाग लिया और जन-प्रदर्शनों में अपनी स्पष्ट उपस्थिति दर्ज कराई। इस आन्दोलन में महिलाओं की सक्रिय रूप से उपस्थिति इसीलिए दर्ज हो पाई क्योंकि इस समय तक वे राजनीतिक क्षेत्र में अपने को सिद्ध कर चुकी थीं। इस क्रम में महिलाओं ने बड़ी संख्या में न केवल छात्र संघों की सदस्यता ग्रहण की बल्कि किसान आंदोलन और श्रमिक संघों में अपनी नेतृत्व क्षमता को भी प्रदर्शित किया। यही वह समय था जब महिलाओं को विधायी सदस्य के रूप में चुन कर आने और सत्ता तथा अन्य प्राधिकरणों के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होने का अधिकार मिला।

1942 में बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत से अंग्रेजों की वापसी को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन के स्वरुप आरंभ हुए भारत छोड़ो आन्दोलन में महिलाओं ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ इस आन्दोलन में सदैव एक अनुशासित सैनिक के दायित्वों का अनुसरण किया। इस आन्दोलन के क्रियान्वयन के निमित्त न्यायालयों और शैक्षिक संस्थाओं के बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों के परित्याग और दहन तथा शराब की दुकानों को बंद करना, करों का भुगतान न करना, जैसे गांधीवादी तरीकों को अपनाया गया। इस आन्दोलन और अंग्रेजों के साथ हो रहे संघर्ष से भारतीय जनमानस को जागृत और परिचित करने के उद्देश्य से "वॉयस ऑफ़ फ्रीडम" नामक एक रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित किया गया, जिसके सञ्चालन का उत्तरदायित्व उषा मेहता ने संभाला। वे भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय अरुणा आसफ़ अली की निकटस्थ महिला राजनीतिक सहयोगी और कार्यकर्ता थी। उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और इस कारण. उन्हें गिरफ्तार करके लखनऊ में कैद कर लिया गया। वह 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के क्रम में हुए भूमिगत आंदोलन की एक प्रखर नेत्री थीं। इस रूप में विदेशी शासन से भारत भूमि को मुक्त कराने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। सुचेता कृपलानी इस आंदोलन में सम्मिलित एक अन्य सेनानी थीं। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महिला प्रकोष्ठ का दायित्व दिया गया था। इस प्रकोष्ठ की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रीय महिला संगठनों के कार्यों का चयन और भारतीय महिलाओं की विविध राजनितिक और सामाजिक गतिविधियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियंत्रण में रखना था। इस आन्दोलन में महिलाओं की इस सहभागिता का मुख्य कारण गांधीजी का प्रेरणास्पद व्यक्तित्व भी था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को धर्म के साथ जोड़ा, जिसने समाज के हर वर्ग को आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। आन्दोलन में महिलाओं की सहभागिता के बाद भी यह देखना अत्यंत निराशाजनक है कि स्वतंत्रता संग्राम में जहाँ महिलाओं ने एक 'अनुशासित सैनिक' की भूमिका निभायी,

वह अपने लिए मताधिकार के प्रश्न पर कोई उल्लेखनीय पहल नहीं कर पाई। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तदन्तर, इस अंतराल की प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता को पूरी तन्मयता के साथ अनुभव किया गया। महिलाओं को सक्रिय राजनीति में सम्मिलित करने के लिए कुछ संवैधानिक प्रतिभूतियों को देना जरूरी है। निम्नलिखित अनुच्छेद में राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तरों पर प्रदान किए गए संवैधानिक उपचारों का विवरण प्रस्तुत है।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करने से पूर्व भारत में महिला आंदोलन का संक्षिप्त विवरण और उनके प्रतिनिधित्व को प्रस्तुत करना अपरिहार्य है। वस्तुतः भारत में महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति *The Committee on Status of Women in India (CSWI)* स्थापना वह पहला कदम था, जिसने राजनीतिक संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करने का परामर्श दिया। 1988 में, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय योजना को प्रस्तावित किया गया। इसके अंतर्गत वैकल्पिक निकायों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण कोटा पर बल दिया गया। महिला संगठनो ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि राजनीति में जमीनी स्तर पर महिला-सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए आरक्षण को पंचायत स्तर से ही आरंभ किया जाए। इस मांग की परिधि में सर्वसम्मति से 1993 में भारतीय संविधान में 73 वें और 74 वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी। 1995 में पुनः संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की गयी। आरंभ में प्रत्येक राजनीतिक दल ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की लेकिन दुर्भाग्यवश इस मांग को पूर्ण रूप से माने जाने से पहले ही इस व्यवस्था की संकल्पना और क्रियान्वयन पर अनेक तरह के संदेह व्यक्त किये गए। इसके बाद कई दलों और समूहों ने 1997 में ग्यारहवीं संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर अपनी विविध आपत्तियां उठाई। इन आपत्तियों में दो मुख्य बिंदुओं पर बल दिया गया: प्रथम, सामान्य और निम्न जातियों की महिलाओं के लिए अध्यारोपित कोटा की व्यवस्था और द्वितीय संसद में अभिजात्यवर्गीय महिलाओं के आ जाने की संभावना; इन आशंकाओं के परिणामस्वरूप यह संशोधन संसद में पारित नहीं हो पाया।

महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से अपनाए गए संवैधानिक प्रावधानों ने भारतीय महिलाओं को सुदृढ़ राजनीतिक अधिकारों से संपन्न किया है जो समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच व्यापक लैंगिक अंतर की खाई को पाटने में एक सीमा तक सफल प्रतीत होतें हैं। हालाँकि, विकास की लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए जो प्रयास भारत द्वारा किये गए हैं उन्हें विश्व स्तर पर भी मान्यता मिली है। इस सन्दर्भ में यह विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी 18 दिसंबर 1979 को महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिन प्रस्तावों को प्रस्तुत किया और जिन्हें 3 सितंबर 1981 को लागू किया गया, वे भी इस दिशा में सक्रिय समुदायों का खासा उत्साहवर्धन करतें हैं।

भारत का संविधान राष्ट्रीय स्तर पर सभी भारतीय नागरिक को समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) की प्रत्याभूति देता है, राज्य द्वारा किसी के भी साथ भेद-भाव न करना (अनुच्छेद 15 (1)), सभी के लिए अवसरों की समानता (अनुच्छेद 16) और समान काम के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39 (डी)), इस दिशा में प्रदत्त विशेष अधिकार हैं जिनका उपयोग सभी भारतीय नागरिक, बिना किसी लैंगिक भेद-भाव के सामान रूप से करतें हैं। इसके अतिरिक्त, यह राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों (अनुच्छेद 15 (3)) के पक्ष में भी विशेष प्रावधान लागू किए जाने की अनुमति देता है। महिलाओं की गरिमा को बनाये रखने के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग (अनुच्छेद

51 (ए) (ई)) और राज्य द्वारा सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए मानवीय वातावरण की उपलब्धि कराना और मातृत्व राहत (अनुच्छेद 42) के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था करता है। राजनीतिक सन्दर्भ में यह विशेष रूप से ध्यातव्य है कि 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से, सभी स्थानीय निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था है।

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के मिथक को दूर करने के लिए इसका विश्लेषण दो स्तरों पर किया जा सकता है, प्रथम पंचायत और द्वीतीय संसदीय स्तर पर।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएँ:

73 वें संवैधानिक संशोधन ने निस्संदेह महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और जमीनी स्तर पर निर्णय लेने में सहायक भूमिका निभाने में सफल होने की संभावना है बशर्ते कि पूरे देश में उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित होने के प्रावधान को अनूकुल जामा पहनाया जा सके। 1992 के 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार:-

- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए दो तरह की आरक्षण व्यवस्था करना जो कि इन संस्थाओं में एक तो सदस्यों के लिए और दूसरे अध्यक्षीय स्तर पर आरक्षण के रूप में साकार हो।
- अनुच्छेद 243 (डी) के खंड (2) और (3) के अनुसार, पंचायतों में प्रत्येक स्तर पर सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं है। भारत में पंचायती राज जैसी व्यवस्था के साक्ष्य लगभग 1000 वर्ष पहले से मिलतें हैं। प्राचीन भारतीय राजनितिक संस्थाओं में इस व्यवस्था की जड़ें तब से मिलतीं हैं जब ग्राम अपनी पंचायतों द्वारा शासित होते थे और एक भांति से छोटे गणराज्यों की तरह व्यवहार करते थे। इस कालखंड में, समाज के पितृसत्तात्मक होने के कारण महिलाओं को राजनीति में सम्मिलित होने के पर्याप्त अवसर नहीं मिले। कालांतर में ब्रिटिश प्रणाली ने इन प्राचीन गणराज्यों की सुविचारित व्यवस्था को नष्ट कर दिया और साथ में राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की सहभागिता की संभावनाओं को भी धूमिल कर दिया। अंग्रेजों के विचार में भारतीय समाज के सन्दर्भ में महिलाओं को मत का अधिकार देना समय से पहले उठाया जाने वाला कदम था और यही कारण था कि उन्होंने महिलाओं में व्याप्त पर्दा-प्रथा को समाप्त करने के लिए न तो कोई उल्लेखनीय प्रयास किये और न ही उनकी शिक्षा की दिशा में कोई महत्वपूर्ण पहल की।

स्वतंत्र भारत में पंचायती राज संस्थानों को सदैव से ही सुशासन का पर्याय माना जाता रहा है और 73 वें संवैधानिक संशोधन के बाद इन संस्थानों में महिलाओं के लिए एक- तिहाई सीटों का आरक्षण करना इसी दिशा में उठाया गया कदम है। यह देखने में आया है कि महिलाओं को विशेष रूप से, स्थानीय निकायों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में प्रश्रय मिला है। 1994 के बाद से पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाएं अब शासन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, चाहे वह एक गांव हो, या 100 ग्रामों को अपने में संजोये हुए एक बड़ा क्षेत्र या फिर एक जिला। यह इंगित करना उत्साहवर्धक है कि संवैधानिक परिवर्तन के उपक्रम में उठाये गए इन प्रयासों के अनुरूप, राजनीतिक गतिविधियों के सन्दर्भ में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता का प्रतिशत 4 से 5 प्रतिशत से बढ़कर 25 से 40 प्रतिशत तक हो गया है।

स्थानीय प्रशासन के सन्दर्भ में, नगर निगमों में महिलाओं के बढ़ते हुए प्रतिनिधित्व को सरलता से चिन्हित किया जा सकता है। दिल्ली में 2012 में हुए नगरपालिका चुनाव के सन्दर्भ में इसे अच्छी तरह से परिलक्षित किया जा सकता है। 2012 में दिल्ली में हुए नगरपालिका चुनाव में यह देखा गया कि महिला पार्षदों

की संख्या, पुरुषों से अधिक हो गयी। दिल्ली नगरपालिका के इस चुनाव के उदाहरण को, देश की राजनीति में अन्यत्र (यहाँ तक कि अन्य देशों में भी) दृष्टिगत किया जाना दुर्लभ है। हालांकि, दिल्ली नगर निगम के 272 सदस्यीय सदन में महिलाओं के लिए 138 सीटें (50 प्रतिशत) आरक्षित थीं, पर अब दिल्ली नगर निगम के तीन अलग-अलग नगर निगमों (पूर्व, दक्षिण और उत्तर क्षेत्रों) में विभाजित होने के उपरांत छह और महिलाओं ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त कीं; और इस तरह से उनकी संख्या बढ़कर 144 तक हो गयी। तीन नई नगरपालिकाओं में से प्रत्येक में महिलाएं, बहुसंख्या में थीं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कुल 64 सीटों में 35 महिला पार्षदें थीं और उत्तरी निगम में, 104 पार्षदों में से 53 महिलाएं, और दक्षिण में कुल 104 पार्षदों में से 56 महिलाएं थीं। इस दिशा में यह देखने को मिला कि तीनों निगमों में से प्रत्येक में, पहले वर्ष में एक महिला महापौर ने निगम की अध्यक्षता संभाली। एक महानगर के रूप में दिल्ली, जो कभी भी महिलाओं के अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए नहीं जाना जाता रहा और जहां 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों की अपेक्षा 866 था, यह वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि थी। 2017 के दिल्ली महानगर निगम चुनावों में दक्षिणी दिल्ली महानगर निगम में महिलाओं ने कुल चुने गए 47 पुरुष पार्षदों की अपेक्षा 54, पूर्वी दिल्ली महानगर निगम में 27 पुरुष पार्षदों की अपेक्षा 35 और नई दिल्ली महानगर निगम में 48 पुरुष पार्षदों की अपेक्षा 54, सीटों पर विजय अर्जित की। पुरुष और महिला के मध्य स्थित में अंतर का कारण-संख्यात्मक के साथ गुणात्मक भी है। दूसरे शब्दों में, भारतीय महिलाओं को व्यवस्था में, संख्यात्मक रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है लेकिन गुणात्मक रूप से अभी भी भी वे हाशिये पर ही हैं। जहाँ तक वस्तुस्थिति का प्रश्न है वहां अधिकांश निर्णय पुरुषों द्वारा ही लिए जाते हैं:- ग्रामीण स्तर पर पंचायतें हों या फिर शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर नगर निगम, इन संस्थाओँ में प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं के सन्दर्भ में निर्णय उसके पति या पुत्र द्वारा बहुधा लिए गए देखने को मिलतें हैं। इसके अतिरिक्त समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण स्थानीय निकायों में महिला सदस्यों के स्वर को प्रायः उनके पुरुष समकक्षों के समक्ष मुखर होने से रोक देता है।

यह माना जा सकता है कि केवल संवैधानिक प्रावधान ही स्थानीय स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसके लिए यह आवश्यक है कि समाज के भीतर भी आमूल-चूल परिवर्तन किये जाएँ जैसे: -

- पुरुष और महिलाओं में सार्वजनिक और निजी भावना के भेद का व्यावहारिक स्तर पर उन्मूलन। इस सन्दर्भ में इस तरह की मान्यता को कि महिलाओं की भूमिका केवल घरेलू गतिविधियों को सम्पन्न करने तक सीमित होतीं हैं और वह केवल संतान उत्पति और उनकी देख रेख के लिए होती है के स्थान पर आज उसके लिए पुरुष की ही भांति सामान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए दोनों के मध्य आवश्यक सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया जाना चाहिए।
- राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं को बाहर संपर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसे दो तरीकों से किया जा सकता है- पहला, प्रबुद्ध ग्रामीण महिलाओं और निरक्षर निर्वाचित महिला नेताओं के बीच वार्तालाप स्थापित करके और दूसरे ग्रामीण महिलाओं को नगरीय क्षेत्रों में ले जाकर जिससे इन दोनों के मध्य स्थित अन्तराल को सहजता से पाट कर बृहद स्तर पर राजनितिक प्रक्रिया में इनके उपस्थिति को साकार किया जा सके।

- महिलाओं को पंचायतों की बैठकों में, सभी स्तरों पर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे उनमें नेतृत्व गुणों और आत्मविश्वास की भावना का विकास हो।
- ग्राम पंचायत और जिला परिषद में सभी महिला सदस्यों की उपस्थित अनिवार्य हो।
- सरकार द्वारा सफल कुछ चुनिंदा महिला संगठनों को वित्तीय सहायता और आधारभूत संरचना प्रदान की जाए जिससे कि वे निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उत्तरदायित्व निष्पादन के लिए प्रोत्साहित कर सकें।
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, संगठित और मार्गदर्शन करने के लिए बड़े स्तर पर गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को स्वीकार किया जाए।
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और सर्व शिक्षा अभियान में लगे अन्य संगठनों को भी यह महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिया जाए जिससे वे ग्रामीण स्तर पर पुरुषों और महिलाओं में पंचायती राज के महत्व और सशक्तीकरण के बारे में जागरूकता और शिक्षा का विस्तार कर सकें।
- ग्रामीण समाज को मीडिया की सहायता से पुनर्गठित किया जाना चाहिए जिससे लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के मूल्यों का समुचित विकास हो सके।

भारतीय संसद में महिलाएं:

यद्यपि संवैधानिक रूप से भारतीय महिलाओं को अनेक राजनीतिक अधिकारों से संपन्न किया गया है, लेकिन फिर भी यह देखने को मिलता है कि ग्रामीण महिलाएं अभी भी लोकतंत्र के प्रतीक अर्थात संसद तक अपनी पहुँच बनाने से बहुत दूर हैं। 2012 में संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा की कुल 543 सदस्य संख्या में केवल 60 महिला सांसदें थीं, और यह संख्या 250 सदस्यीय उच्च सदन अर्थात राज्य सभा में 24 थीं। दूसरे शब्दों में, संसद की कुल सीटों में महिलाओं की सदस्यता मात्र 10 प्रतिशत तक ही थी। संसद में जिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है, उनमें से अधिकांश मध्यवर्ग की हैं; वे पेशेवर महिलाएं हैं और उन्हें महिला-आंदोलनों का कोई विशेष अनुभव नहीं है। इन सदस्यों में से एक बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जिन्होंने राजनीति में प्रवेश के लिए अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उपयोग किया, या फिर जिनमें से कुछ छात्र और नागरिक अधिकारों के आंदोलनों के माध्यम से आयीं। इनमें से कुछ महिलाएं निचली जातियों के सदन में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य द्वारा की गयी पहल के परिणामस्वरूप भी सदन में प्रविष्ट हई। भारतीय संसद में अधिकांश महिलाएँ संभ्रांत पृष्ठभूमि से आतीं हैं। इस पृष्ठभूमि की महिलाओं को निश्चित ही अनेक प्रकार के विशेष अवसर और विकल्प उपलब्ध होतें है जो कि निर्धन तबके वाली महिलाओं को उपलब्ध नहीं होते।

यह अत्यंत चिंताजनक है कि संवैधानिक रूप से सशक्त होने के बाद भी भारतीय महिलाएं, अभी भी राजनीतिक रूप से उपेक्षित हैं। इस राजनीतिक हाशिए के के पीछे लिंग, जाति, वर्ग और सामाजिक स्थिति जैसे कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। सभी स्तरों पर निर्णय लेने में महिलाओं द्वारा भागीदारी का स्तर, उनके द्वारा प्रतिनिधित्व और सशक्तीकरण को मापने के लिए प्रमुख उपकरणों में से एक है। यह निम्नलिखित मापदंडों पर केंद्रित है:

- केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (तालिका 1.1)
- विभिन्न आम चुनावों में कुल निर्वाचक और मतदान किए गए मतदाताओं की संख्या प्रतिशत में (तालिका 1.2)

- राज्य सभा में महिला सदस्य निर्वाचित / मनोनीत (तालिका 1.3)
- विभिन्न लोकसभा चुनावों में चुनाव और निर्वाचित व्यक्तियों की संख्या (तालिका 1.4)
- 2014 के आम चुनाव के लिए महिला मतदाताओं का राज्य-वार मतदान (तालिका 1.5)
- 16 वीं लोकसभा में राज्य-वार महिलाओं की भागीदारी (तालिका 1.6)
- राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी तालिका (तालिका 1.7)
- सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशो की संख्या (तालिका 1.8)
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (तालिका 1.9)

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 1.1

वर्ष	मंत्रियों की संख्या			महिला मंत्रियों की संख्या			केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओ का %
	कैबिनेट मंत्री	राज्य मंत्री	उप - मंत्री	कैबिनेट मंत्री	राज्य मंत्री	उप - मंत्री	
1985	15	25	0	1	3	0	10.0%
1990	17	17	5	0	1	1	5.1%
1995	12	37	3	1	4	1	11.5%
1996	18	21	0	0	1	0	2.6%
1997	20	24	0	0	5	0	11.4%
1998	21	21	0	1	3	0	9.5%
2002	32	41	0	2	6	0	11.0%
2004	29	39	0	1	6	0	10.3%
2003	30	48	0	1	5	0	7.7%
2009	40	38	0	3	4	0	9.0%
2011	32	44	0	2	6	0	10.5%
2012	31	43	0	2	6	0	10.8%
2013	31	47	0	3	9	0	15.4%
2014	23	22	0	6	1	0	15.6%
2015	23	22	0	6	2	0	17.8%
2016	26	49	0	5	4	0	12.0%
2017	27	48	0	6	3	0	12.0%
2018	25	49	0	6	3	0	12.2%

स्रोत: लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।

* इसमें स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल हैं

ISSN: 2454-2725, Impact Factor: GIF 1.888
www.jankriti.com

विभिन्न आम निर्वाचन में निर्वाचकों और प्रतिशत मतदान की संख्या 1.2

आम निर्वाचन	वर्ष	कुल मतदाताओं की संख्या (लाखों में)			चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचकों का प्रतिशत		
		महिला	पुरुष	कुल	महिला	पुरुष	कुल
पहला	1952	-	-	173.2	-	-	61.2[a]
दूसरा	1957	-	-	193.7	-	-	62.2[a]
तीसरा	1962	102.4	113.9	216.4	46.63	62.00	55.42
चौथा	1967	119.4	129.6	249	55.50	66.70	61.30
पाँचवाँ	1971	130.62	143.56	274.19	-	-	55.27
छठा	1977	154.2	167.0	321.2	54.90	65.60	60.50
सातवाँ	1980	170.3	185.2	355.6	51.20	62.20	56.90
आठवाँ	1984	192.3	208.0	400.3	59.20	68.40	63.56
नौवाँ	1989	236.9	262.0	498.9	57.30	66.13	61.95
दसवां	1991	234.5	261.8	498.4	51.40	61.60	56.73
ग्यारहवाँ	1996	282.8	309.8	592.6	53.40	62.10	57.94
बारहवाँ	1998	289.2	316.7	605.9	57.90	65.70	61.97
तेरहवाँ	1999	295.7	323.8	619.5	55.60	63.90	59.94
चौदहवाँ	2004	322.0	349.5	671.5	53.64	62.15	58.07
पंद्रहवाँ	2009	342.2	374.7	716.9	55.80	60.30	58.10

ISSN: 2454-2725, Impact Factor: GIF 1.888
www.jankriti.com

सोलहवां	2014	397.0	437.0	834.1*	65.54	67.00	66.30

स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

नोट: 1. पहले, दूसरे और पांचवें आम चुनाव के लिए मतदाताओं का सेक्स-वार ब्रेक उपलब्ध नहीं है।

अ: वैध मतों के आधार पर परिकलित किया गया।

* कुल में अन्य शामिल है

ISSN: 2454-2725, Impact Factor: GIF 1.888
www.jankriti.com

राज्य सभा में महिला सदस्य निर्वाचित / मनोनीत 1.3

वर्ष	महिला सदस्य		वर्ष	महिला सदस्य		वर्ष	महिला सदस्य		वर्ष	महिला सदस्य	
	सं०	%	सं०	%	सं०	%	सं०	%	सं०	सं०	%
1952	15	6.9	1970	14	5.8	1988	25	10.2	2004	28	11.4
1954	16	7.3	1972	18	7.4	1990	24	9.8	2006	25	10.2
1956	20	8.6	1974	17	7.0	1992	17	6.9	2008	24	9.8
1958	22	9.5	1976	24	9.8	1994	20	8.2	2010	27	11.0
1960	24	10.2	1978	25	10.2	1996	19	7.8	2012	24	9.8
1962	17	7.6	1980	29	11.9	1998	19	7.8	2014	31	12.8
1964	21	8.8	1982	24	9.8	1999	20	8.2	2016	27	11.0
1966	23	9.6	1984	24	9.8	2000	22	9.0			
1968	22	9.2	1986	28	11.5	2002	25	10.2			

स्रोत: चुनावी सांख्यिकी पॉकेट बुक 2017

(Peer-Reviewed)
ISSN: 2454-2725, Impact Factor: GIF 1.888
www.jankriti.com

विभिन्न लोकसभा चुनावों में निर्वाचित और सहभागी प्रत्याशी 1.4

लोकसभा चुनाव	वर्ष	अवधि	चुनाव के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या	कुल संख्या में चुनाव	प्रति सीट प्रत्याशियों की औसत संख्या	महिला			पुरुष		
						प्रत्याशियों की कुल संख्या	निर्वाचित	% निर्वाचन	प्रत्याशियों की कुल संख्या	निर्वाचित	% निर्वाचन
पहला	1952	अप्रैल 1952-अप्रैल 1957	489	1874	3.8	प्रत्याशियों का लिंग-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है					
दूसरा	1957	अप्रैल 1957-मार्च 1962	494	1518	3.1	45	27	60.0	1473	467	31.7
तीसरा	1962	अप्रैल 1962-मार्च 1967	494	1985	4.0	70	35	50	1915	459	24
चौथा	1967	04/03/1967-27/12/1970	520	2369	4.6	67	30	44.8	2302	490	21.3
पाँचवाँ	1971	15/03/1971-18/01/1977	520	2784	5.4	86	21	24.4	2698	499	18.5
छठा	1977	मार्च 1977-अगस्त1979	542	2439	4.5	70	19	27.1	2369	523	22.1
सातवाँ	1980	18/01/1980-31/12/1984	542	4620	8.5	142	28	19.7	4478	514	11.5
आठवाँ	1984	31/12/1984-27/11/1989	542	5574	10.3	164	42	25.6	5406	500	9.2
नौवाँ	1989	19/12/1989-9/7/1991	529	6160	11.6	198	27	13.6	5962	502	8.4
दसवां	1991	20/06/1991-10/05/1996	521	8699	16.7	325	37	11.4	8374	484	5.8
ग्यारहवाँ	1996	15/05/1996-04/12/1997	543	13952	25.7	599	40	6.7	13353	503	3.8

(Peer-Reviewed)
ISSN: 2454-2725, Impact Factor: GIF 1.888
www.jankriti.com
वर्ष 6, अंक 69-70, जनवरी-फरवरी 2021

बारहवाँ	1998	10/03/1998-26/04/1999	543	4750	8.7	274	43	15.7	4476	500	11.2
तेरहवाँ	1999	10/10/1999-06/02/2004	543	5155	9.5	296	52	17.6	4859	494	10.2
चौदहवाँ	2004	17/05/2004-18/05/2009	543	5435	10.0	355	45	12.7	5080	498	9.8
पंद्रहवाँ	2009	18/05/2009-18/05/2014	543	8070	14.9	556	59	10.6	7514	484	6.4
सोलहवां	2014	मई, 2014 पर्यंत	543	8251	15.2	668	62	9.3	7583	481	6.3

स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली और लोकसभा सचिवालय
नोट: प्रतियोगियों की कुल संख्या में निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों की संख्या, यदि हो दिसंबर, 2017 तक कुल निर्वाचित महिला सदस्य 64 हैं

ISSN: 2454-2725, Impact Factor: GIF 1.888
www.jankriti.com

2014 के आम चुनाव के लिए राज्यवार महिला मतदाता मतदान 1.5

(हजारों में मतदाताओं की संख्या हज़ार में)

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	कुल महिला मतदाता	महिला मतदाता	महिला मतदान का %	कुल मतदाता	मतदाता	मतदान का %
अंडमान और निकोबार	127	89	70%	269	190	71%
आंध्र प्रदेश	32268	24006	74%	64939	48359	74%
अरुणाचल प्रदेश	380	308	81%	759	597	79%
असम	9098	7209	79%	18885	15086	80%
बिहार	29669	17106	58%	63762	35885	56%
चंडीगढ़	282	208	74%	615	453	74%
छत्तीसगढ़	8707	5935	68%	17623	12256	70%
दादर और नगर हवेली	90	77	86%	197	165	84%
दमन और दीव	55	45	82%	112	87	78%
गोवा	532	421	79%	1061	817	77%
गुजरात	19374	11565	60%	40603	25824	64%
हरियाणा	7381	5144	70%	16098	11495	71%
हिमाचल प्रदेश	2336	1529	65%	4810	3099	64%
जम्मू और कश्मीर	3400	1639	48%	7202	3567	50%
झारखण्ड	9642	6122	64%	20327	12983	64%
कर्नाटक	22626	14873	66%	46212	31039	67%
केरल	12592	9298	74%	24327	17976	74%
लक्षदीप	24	22	88%	50	43	87%
मध्य प्रदेश	22808	12905	57%	48118	29640	62%
महाराष्ट्र	37974	22004	58%	80717	48719	60%
मणिपुर	903	727	81%	1774	1413	80%
मेघालय	790	553	70%	1567	1078	69%
मिज़ोरम	356	217	61%	702	433	62%
नागालैंड	582	510	87%	1183	1039	88%
दिल्ली	5660	3618	64%	12711	8272	65%
उड़ीसा	14002	10500	75%	29196	21532	74%
पुडुचेरी	469	389	83%	901	740	82%
पंजाब	9281	6583	71%	19608	13845	71%
राजस्थान	20331	12482	61%	42969	27110	63%
सिक्किम	180	151	84%	371	309	83%
तमिलनाडु	27543	20370	74%	55115	40620	74%
त्रिपुरा	1171	988	84%	2389	2024	85%
उत्तर प्रदेश	62894	36113	57%	138966	81092	58%

ISSN: 2454-2725, Impact Factor: GIF 1.888
www.jankriti.com

उत्तराखंड	3379	2123	63%	7130	4392	62%
पश्चिम बंगाल	30144	24736	82%	62833	51623	82%

स्रोत: भारत का चुनाव आयोग - आम चुनाव, 2014 (16 वीं लोकसभा)।

(Peer-Reviewed)
ISSN: 2454-2725, Impact Factor: GIF 1.888
www.jankriti.com

16 वीं लोकसभा में राज्य-वार महिलाओं की भागीदारी 1.6

राज्य/के० शा० प्रदेश	महिला सांसद	कुल पद	महिला %	प्रथम बार निर्वाचित		
				महिलाएं	कुल	महिलाओं का %
आंध्र प्रदेश	2	25	8%	2	18	11 %
असम	2	14	14%	1	8	13 %
बिहार	3	40	8%	1	17	6%
चंडीगढ़	1	1	100 %	1	1	100%
छत्तीसगढ़	1	11	9%	0	6	0%
दिल्ली	1	7	14%	1	7	14 %
गोवा	0	2	0%	0	1	0%
गुजरात	5	26	19%	3	15	20 %
हरियाणा	0	10	0%	0	7	0%
हिमाचल प्रदेश	0	4	0%	0	1	0%
जम्मू और कश्मीर	0	6	0%	0	4	0%
झारखण्ड	0	14	0%	0	6	0%
कर्नाटक	1	28	4%	1	11	9%
केरल	1	20	5%	1	4	25 %
लक्षदीप	0	1	0%	0	1	0%
मध्य प्रदेश	5	29	17%	2	14	14 %
महाराष्ट्र	6	48	13%	4	30	13 %
मेघालय	0	2	0%	0	1	0%
नागालैंड	0	1	0%	0	1	0%
उड़ीसा	3	21	14%	3	12	25 %
पुड्डुचेरी	0	1	0%	0	1	0%

(Peer-Reviewed)
ISSN: 2454-2725, Impact Factor: GIF 1.888
www.jankriti.com

पंजाब	1	13	8%	0	6	0%
राजस्थान	1	25	4%	1	18	6%
तमीनाडु	4	39	10%	4	35	11 %
तेलंगाना	1	17	6%	1	11	9%
त्रिपुरा	0	2	0%	0	2	0%
उत्तर प्रदेश	14	80	18%	9	55	16 %
उत्तराखंड	1	5	20%	0	3	0%
पश्चिम बंगाल	13	42	31%	9	22	41 %
अखिल भारतीय	**66**	**534**	**12%**	**44**	**318**	**14 %**

स्रोत: लोकसभा सचिवालय के अनुसार दिसंबर 2018 को स्थिति

(Peer-Reviewed)
ISSN: 2454-2725, Impact Factor: GIF 1.888
www.jankriti.com

विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी 1.7

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	आम चुनाव का वर्ष	महिला प्रत्याशियों की संख्या %	निर्वाचित महिलाओं की संख्या % में	पंजीकृत महिला मतदाताओं की संख्या % में	कुल महिला मतदान % में	कुल पंजीकृत महिला मतदाताओं में से मतदान में सहभागी महिला मतदाताओं की संख्या % में
आंध्र प्रदेश	2014	8.08	9.2	32241794 (49.69%)	23899017 (49.31%)	**74.1**
अरुणाचल प्रदेश	2014	3.87	3.3	379473 (50.10%)	299237 (49.80%)	**78.9**
असम	2016	8.55	6.34	9649238 (48.26%)	8169835 (51.15%)	**90.38**
बिहार	2015	7.91	11.5	31272523 (46.64)	18914687 (49.78%)	**N.A.**
छत्तीसगढ़	2013	8.42	11.1	8308557 (49.18%)	6423948 (49.09%)	**77.3**
गोवा	2012	4.65	2.5	515194 (50.20%)	435725 (50.19%)	**84.6**
गुजरात	2012	5.82	8.8	18148715 (47.63%)	12613257 (45.97%)	**69.5**
हरियाणा	2014	5.65	10.0	5967308 (45.49%)	4243222 (44.70%)	**71.1**
हिमाचल प्रदेश	2012	7.41	4.4	2234980 (48.50%)	1702953 (50.27%)	**76.2**
जम्मू और कश्मीर	2014	3.36	2.3	3462092 (47.41%)	2294469 (47.57%)	**66.2**
झारखण्ड	2014	9.77	9.9	9896924 (47.46%)	6631260 (47.87%)	**67.0**
कर्नाटक	2013	5.94	2.7	21367912 (48.91%)	15057361 (52.25%)	**70.5**
केरल	2016	9.14	5.71	13533244 (51.84%)	10575485 (52.25%)	**78.14**
मध्य प्रदेश	2013	7.74	13.0	22064402 (47.13%)	15465338 (45.62%)	**70.1**
महाराष्ट्र	2014	6.72	6.9	39315278 (47.31%)	24438117 (54.58%)	**62.2**
मणिपुर	2012	5.38	5.0	890886 (50.95%)	724790 (51.86%)	**81.4**
मेघालय	2013	7.25	6.7	759608 (50.51%)	671826 (50.78%)	**88.4**
मिज़ोरम	2013	4.23	0.0	350333 (50.71%)	287676 (49.92%)	**82.1**
नागालैंड	2013	1.07	0.0	590150 (49.24%)	538968 (49.09%)	**91.3**
उड़ीसा	2014	8.24	7.5	13987189 (47.98%)	10430276 (48.42%)	**74.6**

ISSN: 2454-2725, Impact Factor: GIF 1.888
www.jankriti.com

पजाब	2012	8.63	12.0	8383335 (47.19%)	6614316 (47.55%)	**78.9**
राजस्थान	2013	7.92	14.0	19307320 (47.29%)	14566391 (47.15%)	**75.4**
सिक्किम	2014	9.09	9.4	179650 (48.55%)	146197 (47.15%)	**81.4**
तामिलनाडु	2016	8.58	9.33	29106485 (50.36%)	21635103 (50.04%)	**74.3**
त्रिपुरा	2013	6.02	8.3	1157284 (49.07%)	1075622 (48.72%)	**92.9**
उत्तराखड	2012	7.99	7.1	3024346 (47.42%)	2060139 (48.33%)	**68.1**
उत्तर प्रदेश	2012	8.52	8.7	57232002 (44.89%)	34500316 (45.46%)	**60.3**
पाश्चम बगाल	2016	10.19	13.92	31842992 (48.29%)	26472289 (51.21%)	**88.04**
रा० रा० क्षेत्र दिल्ली	2015	9.80	8.57	5920490 (44.47%)	3936688 (44.05%)	**65.1**
पुड्डुचेरी	**2016**	**6.10**	**13.3**	**494412 (52.48%)**	**422427 (52.70%)**	**85.44**

स्रोत: चुनावी सांख्यिकी पॉकेट बुक 2017

सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशो की संख्या 1.8

न्यायालय का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	स्थायी	अतिरिक्त	महिला	पुरुष	% महिला
सर्वोच्च न्यायालय	**31**	**31**	**0**	3	24	11%
उच्च न्यायालय						
इलाहाबाद	160	76	84	6	103	6%
आंध्रा प्रदेश (हैदराबाद)	61	46	15	3	25	11%
बॉम्बे	94	71	23	9	62	15%
कलकत्ता	72	54	18	7	30	12%
छत्तीसगढ़	22	17	5	2	13	0%
दिल्ली	60	45	15	7	32	24%
गौहाटी	24	18	6	1	18	5%
गुजरात	52	39	13	3	26	10%
हिमाचल प्रदेश	13	10	3	0	8	0%
जम्मू और कश्मीर	17	13	4	2	7	0%
झारखण्ड	25	19	6	1	18	5%
कर्नाटक	62	47	15	3	30	9%
केरल	47	35	12	5	33	13%
मध्य प्रदेश	53	40	13	3	32	9%
मद्रास	75	56	19	12	49	18%
मणिपुर	5	4	1	0	3	0%
मेघालय	4	3	1	0	3	0%
उड़ीसा	27	20	7	1	13	7%
पटना	53	40	13	2	26	7%
पंजाब और हरियाणा	85	64	21	8	47	11%
राजस्थान	50	38	12	1	24	8%
सिक्किम	3	3	0	1	2	33%
त्रिपुरा	4	4	0	0	3	0%
उत्तराखंड	11	9	2	0	9	0%

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 1.9

राज्य/के० शा० प्रदेश	पंचायतो की संख्या *			निर्वाचित प्रतिनिधि#		
	जिला स्तर	मध्यवर्ती स्तर	ग्राम स्तर	कुल	महिलाओं की कुल संख्या	महिलाएं (%)
अंडमान और निकोबार	3	9	70	**NA**	**NA**	-
आंध्र प्रदेश	13	660	12920	156049	78025	50
अरुणाचल प्रदेश	20	177	1835	9356	3094	33
असम	21	191	2199	26844	13422	50
बिहार	38	534	8378	136325	70400	52
चंडीगढ़	1	1	12	NA	NA	-
छत्तीसगढ़	27	146	10996	158776	87549	55
दादर नगर हवेली	1	N.A.	20	136	47	35
दमन और दीव	2	N.A.	15	97	28	29
गोवा	2	N.A.	192	1559	514	33
गुजरात	33	248	14263	132726	43670	33
हरियाणा	21	126	6204	68152	24876	37
हिमाचल प्रदेश	12	78	3226	27832	13947	50
जम्मू और कश्मीर	22	319	4204	33282	11169	34
झारखण्ड	24	263	4398	51327	30373	59
कर्नाटक	30	176	6024	95307	50892	53
केरल	14	152	941	19089	9897	52
लक्षदीप	1	N.A.	10	NA	NA	-
मध्य प्रदेश	51	313	22825	396819	198409	50
महाराष्ट्र	34	351	27887	203203	101466	50
मणिपुर	4	N.A.	161	1784	868	49
उड़ीसा	30	314	6806	100791	49697	49
पुड्डुचेरी	N.A.	10	98	NA	NA	-
पंजाब	22	147	13016	97180	33609	35
राजस्थान	33	295	9891	121008	70531	58
सिक्किम	4	N.A.	185	1099	549	50

तमिलनाडु	31	385	12524	119399	39975	33
तेलंगाना	9	438	8685	103468	46702	45
त्रिपुरा	8	35	591	10939	3930	36
उत्तर प्रदेश	75	821	59019	718667	297235	41
उत्तराखंड	13	95	7955	61451	35537	58
पश्चिम बंगाल	22	342	3341	59296	29579	50
कुल	**621**	**6626**	**248891**	**2911961**	**1345990**	**46**

स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय

* दिसम्बर *2017* को

#

2018 तक, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं का प्रतिशत 12.2% है, जो 2016 के के प्रतिशत के समान है। परिषद में 6 महिलाएं कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों के अनुसार, कुल महिला मतदाताओं की संख्या 397 मिलियन थी। चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं का प्रतिशत 65.54% था, जबकि 67.0% पुरुष मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया था। राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या जो 2014 में 31 थी से घटकर 2016 में 27 हो गई है। 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद से, जब महिलाओं की जीत का प्रतिशत 12.7% था, 2009 में यह घटकर 10.6% और 2014 में 9.3% हो गया है, हालांकि महिलाओं द्वारा पाये गए मतों का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक है। 2014 के आम चुनावों में महिला मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान का प्रतिशत लक्षद्वीप में सर्वाधिक 88% और जम्मू और कश्मीर में न्यूनतम 48% था। 16 वीं लोकसभा में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी उत्तर प्रदेश से है, जिनकी संख्या 14 है और उसके बाद पश्चिम बंगाल है जहां से 13 सदस्य हैं।

हाल के विधान सभा चुनावों में महिलाओं द्वारा जीती गई सीटों का उच्चतम प्रतिशत 14.0 है, जो 2014 के राजस्थान विधान सभा के चुनाव का है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं की भागीदारी झारखंड में सर्वाधिक 59% है जिसके बाद राजस्थान और उत्तराखंड हैं, जहां यह 58% है। निर्वाचित महिलाओं के संदर्भ में, सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश में 297235 और मध्य प्रदेश में 198409 है।

लिंग और जाति की भूमिका

भारत के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में जाति सदैव से एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। संसद में चुनी गयी अधिकांश महिला सांसद उच्च जातियों से सम्बन्ध रखतीं हैं। हालांकि, जाति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच इतनी सहजता और सरलता से संबंध स्थापित करना पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं है। यह विडंबना है कि साम्यवादी दलों जैसे प्रगतिशील राजनीतिक धड़े जो स्वयं को समानता और अधिकारों के पैरोकार होने का दावा करतें हैं, भी इस रोग से मुक्त नहीं हैं। इस दिशा में, पूरे प्रयासों के बावजूद भी भारत में प्रशस्त जाति-आधारित आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठाने में, सक्षम महिलाओं की संख्या अभी भी बहुत कम है।

संसद की कुल सीटों में से 22 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन आरक्षित सीटों में से केवल 4.1 प्रतिशत पर महिलाएं चुन कर आ पायीं हैं। पिछले कुछ आम चुनावों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, महिलाओं को राजनीति में समाहित किये जाने की प्रवृत्ति को समझने में सहायक होगा। लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं की सबसे कम संख्या 1977 में थी, जब केवल 19 महिलाएँ ही संसद के निचले सदन में चुनकर पहुँची थीं। यह संख्या कुल सीटों का केवल 3.5 प्रतिशत (उस समय 542) ही था। लोकसभा के इतिहास में ऐसा कोई अन्य अवसर नहीं था, जब महिलाएं 20 के अंक को छू पायी हों। केवल तीन अन्य अवसर थे जब महिला उम्मीदवार लोकसभा में 40 की संख्या को छू पाई थीं। 8 वीं लोकसभा (1984) में 42 महिलाएं, 11 वीं लोकसभा (1996) में 40 महिलाएं और 12 वीं लोकसभा (1998) में 43 महिलाएं चुनकर पहुँच पाई। इस सन्दर्भ में 1996 से पहले, केवल एक अवसर (1984) पर दसवीं लोकसभा में, सदन के लिए चुनी गई कुल महिलाएं 39 महिला सांसदों में से, 14 प्रतिशत अनुसूचित जाति से थीं। इनमें से दो महिला सांसद "पिछड़ी" जातियों की थीं और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती थीं|

इस भांति जाति, भारतीय संसद में प्रतिनिधियों के चयन उनके वृत्ति, निष्ठा और कार्य को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभातीं हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 1999 में 13 वीं लोकसभा चुनावों में, 49 महिला उम्मीदवार चुनकर आई थीं। यह कुल लोकसभा का 9.02 प्रतिशत था। 2004 में लोकसभा के लिए चुनी गई महिलाओं की संख्या घटकर 45 हो गई। यह संख्या, भारतीय संसद की स्थापना के बाद से दूसरी सबसे ऊंची दर थी जो कुल सीटों का केवल 8.29 प्रतिशत थी। 15 वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, यह आजादी के बाद पहली बार 50 को पार कर गई। 58 महिला सदस्यों के साथ 15 वीं लोकसभा में पिछली लोकसभा की अपेक्षा 13 अधिक महिला सांसद थीं। उत्तर प्रदेश ने सात की संख्या के साथ सबसे अधिक महिला सदस्य दिए, जबकि पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर रहा। सकारात्मक बदलाव के दृष्टान्त के निरंतर, सततता का अनवरत क्रम भी निहित होता है। हाल के चुनावों में प्रमुख पार्टियों द्वारा मैदान में उतारी गई महिला उम्मीदवारों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है और प्रत्येक 10 उम्मीदवारों में, महिला उम्मीदवारों की संख्या 1 के नीचे सीमित है। इस बार, कांग्रेस ने 440 में से 43 महिलाओं को मैदान में उतारा जबकि भाजपा द्वारा कुल उतारे गए 433 में से महिलाओं की संख्या 44 रही। 2004 के चुनाव में, 414 उम्मीदवारों की कांग्रेस सूची में 45 महिलाएँ थीं जबकि बीजेपी की 364 सूची में इनकी संख्या केवल 30 थी। सी०पी०एम० और सी०पी०आई०, जो पार्टियां स्वयं के दूसरों की अपेक्षा में अधिक प्रगतिशील होने का उद्घोष करती हैं, की स्थिति इस दिशा में और भी शोचनीय है। 2009 में, सी०पी०एम० के 82 उम्मीदवारों में से केवल छह (7.3 प्रतिशत) और सी०पी०आई० के 56 में केवल चार (7.1 प्रतिशत) चार महिलाएँ थीं।

इसी तरह की प्रवृत्ति 2009 में, अन्य दलों के सन्दर्भ में भी देखने को मिली। सपा ने 165 उम्मीदवारों में 15 महिलाओं को टिकट दिया (9 प्रतिशत), जबकि बी०एस०पी० के सन्दर्भ में, यह संख्या 500 में से 28 (5.5 प्रतिशत) रही। तमिलनाडु के चिरपरिचित प्रतिद्वंद्वियों, डी०एम०के० और ए०आई०ए०डी०एम०के० के लिए, यह आंकड़ा 9 प्रतिशत रहा। रा०ज०द० के लिए यह प्रतिशत 4.5, एन०सी०पी० के लिए लगभग 10 प्रतिशत और शिरोमणि अकाली दल के लिए 20 प्रतिशत है।

वर्ग और सामाजिक स्थिति की भूमिका:

किसी भी राजनीतिक प्रणाली में सफल होने के लिए सबसे प्रमुख घटक वह वर्ग होता है जिससे आकर एक महिला सांसद आती हैं। अधिकांश महिला सांसद (लगभग 65 प्रतिशत) 30 और 60 के दशक के आयु वर्ग की हैं और इसलिए उनके पास एक युवा परिवार को आकार देने का उत्तरदायित्व नहीं होता। भारत में प्रचलित व्यापक विवाह पद्धति को देखते हुए, अविवाहित सांसदों का आंकड़ा असाधारण रूप से अधिक है और सार्वजनिक जीवन में सम्मिलित होने वाली महिलाओं पर इसका बड़ा सामाजिक दबाव होता है। जो लोग विवाहित हैं, उनके लिए सार्वजनिक जीवन के दबाव को अपने वर्ग को ध्यान में रखते हुए थोड़ा कम किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं के लिए भी पारिवारिक जीवन की बाध्यताएं होती हैं। महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसर को अधिक सुविधाजनक और उपलब्धिजन्य बनाने के लिए महिलाओं की सामाजिक स्थिति एक महत्वपूर्ण कारण होती है। उदाहरण के लिए डॉ० नजमा हेपतुल्ला, जो राज्यसभा की उप सभापति रहीं हैं, मार्गरेट अल्वा जो एक ईसाई महिला हैं और पूर्व राज्य मंत्री और भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की संस्थापक अध्यक्ष रहीं हैं, एक समान पृष्ठभूमि से हैं। दोनों ही सन्दर्भों में, वे एक ऐसे परिवार से आतीं हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित था और इस कारण उदार विचारधारा से प्रभावित था तथा उच्च शिक्षा से संपन्न था। इस प्रकार, भारतीय संसद में अधिकांश महिलाएँ अभिजात्य वर्ग से सम्बद्ध रहीं हैं। सार्वजनिक तौर से उनकी भूमिका बहुत कुछ रूढ़ियों को चुनौती देती है और उनकी वर्गीय पृष्ठभूमि के कारण उन्हें प्रायः निर्धन वर्ग की महिलाओं की अपेक्षा कहीं अधिक विकल्प उपलब्ध करातीं हैं।

उपरोक्त कारकों के अलावा कुछ घरेलू बाधाएं जो महिलाओं को राजनीतिक रूप से सहभागिता निभाने में बाधा के रूप में कार्य करतीं हैं, वे निम्नलिखित हैं: -

- घरेलू उत्तरदायित्व,
- वित्तीय सहायता का अभाव,
- राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण और
- "चरित्र हनन" का भय, जो महिलाओं में राजनीतिक ढांचे का भाग बनने में कठिनाई उत्पन्न करता है।

आरक्षण की रणनीति:

महिलाओं द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहुँच बनाने के लिए महिला आरक्षण की रणनीति को ईधर के समय में विशेष महत्व मिला है। एक प्रधान मंत्री के रूप में राजीव गांधी थे, जिन्होंने महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को सर्वप्रथम सिद्धांत रूप में स्वीकार किया। उन्होंने राजनीति में महिलाओं को सम्मिलित करने पर प्रत्यक्ष बल दिया जिसे 1993 में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों की निर्वाचित सीटों में 33 प्रतिशत के आरक्षण के प्रावधान के रूप में मान्यता मिली। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि इस तरह के आरक्षण का लाभ उठाने की क्षमता जाति और वर्ग द्वारा भी नियंत्रित होतीं हैं। हालांकि, इस सन्दर्भ में राज्य और राज्य तथा राजनीतिक नेताओं का समर्थन भी उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो राजनीतिक प्रणाली तक पहुंच बनाना चाहतीं हैं। निस्संदेह, राजनीतिक क्षेत्र में पहुंच बनाने में महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा के प्रति महिला सांसदों में जागृति और समर्थन बढ़ रहा है। ज्यादातर महिला सांसदों ने 81 वें संशोधन का समर्थन किया है, जो संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित करेगा, भले ही पार्टी अनुशासन ने उन्हें इस वोट के लिए

अनुमति नहीं दी हो। यह विषय उन बाधाओं को उजागर करता है जो एक दलीय प्रणाली में महिला उम्मीदवारों के सामने उपस्थित होतीं हैं।

इन परिस्थितियों में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिससे वे सही अर्थों में अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम और समर्थ हों। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि व्यैक्तिक लिंग और राजनीतिक शक्ति में गहरा संबंध होता है। यह देखा गया है कि संसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलने के बाद भी उन्हें मानव संसाधन विकास, नागरिक उड्डयन और पर्यटन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और कार्मिक और सार्वजनिक शिकायतें आदि कमतर महत्व और चुनौतियों वाले विभाग आबंटित किये जातें हैं। इसके अतिरिक्त जवाबदेही का प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक प्रतिनिधि के रूप में एक महिला "केवल महिला" नहीं हैं और उसके लिए कोई निश्चित निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता। ऐसी स्थिति में भी उनके सन्दर्भ में उत्तरदायित्व के अभाव का आरोप लगाया जाता है। इसके बाद भी, जब महिलाओं के संबंध में संसद में मुद्दे उठाए जाते हैं, तो इन महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे बहस में भाग लें और 'ये करो' या 'ये न करो' जैसे निर्देशों का अनुसरण करें। महिलाओं के कल्याण और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों पर महिला सांसदों को एकजुट करने में विशेष रूप से भूमिका निभा सकतें हैं। सामान्यतः इन मुद्दों पर संसद में "महिलाओं के बंद कमरे" में चर्चा की जाती है।

उपरोक्त चर्चा से यह संकेत मिलता है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, महिलाओं के विभिन्न हितों के पोषण में बेहतर प्रतिनिधित्व के रूप में सहजता से मुखरित नहीं हो पाता। राजनीतिक जीवन में महिलाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व निम्न कारणों से दिया जाना महत्वपूर्ण है:

- सार्वजनिक कार्यालय में महिलाओं की संख्या जितनी अधिक होगी, सार्वजनिक जीवन में विभिन्न स्तरों पर उन्हें उतना अधिक महत्व मिलेगा।
- इसके द्वारा एक पितृसत्तात्मक सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र तक पहुँचने के लिए महिलाओं द्वारा अपनाई गई रणनीतियों का पता लगाया जा सकता है।
- इसके द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों से महिलाओं को कतिपय ऐसी रणनीतियों का उपयोग करने के अवसर मिलते हैं जो राजनीति में लिंग पदानुक्रम को कम करने में सक्षम हो सकते हैं,
- इसके द्वारा संस्थागत और मुख्य धारा की राजनीति के मध्य गतिशीलता का भी पता लगाया जा सकता है और इसका विश्लेषण किया जा सकता है।

निष्कर्ष

इस भांति यह देखा जा सकता है कि यद्यपि भारतीय महिलाएं भले ही सक्रिय रूप से राजनीति में सम्मिलित हो गई हों, वे अपनी राजनीतिक शक्ति को सही मायने में साकार करने से बहुत दूर हैं, अर्थात् महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, वास्तविकता से अधिक मिथक प्रतीत होती है। दूसरे शब्दों में, उनकी राजनीतिक शक्ति का उपयोग उनके परिवार के पुरुष सदस्य द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के स्वर को उनके पुरुष समकक्षों द्वारा समाज में स्थापित पितृसत्तात्मक पृष्ठभूमि में दबाया जा

रहा है। इधर के वर्षों में यह देखने को मिला कि पहली बार वित्त, विदेश और रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का दायित्व महिलाओं को प्रदान किया गया, जिनपर अभी तक पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था। इस तरह के परिवर्तन महिलाओं के प्रति भारतीय राजनीति में आये बदलावों की ओर संकेत करतें हैं। पर, यदि गहराई से देखें तो वस्तुस्थिति में अभी भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। स्थानीय निकायों में आरक्षण के बाद भी, ये अपने उत्तरदायित्वों का विधिवत अनुपालन नहीं कर पा रहीं हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नव निर्वाचित 17 वीं लोकसभा में, 78 निर्वाचित महिला सांसदों के साथ, महिला प्रतिनिधित्व 14.3 प्रतिशत है, जो स्वतंत्रता के बाद का उच्चतम स्तर है। यह 2014 की 62 महिलाओं को सदस्य संख्या से अधिक है, फिर भी कैबिनेट में मात्र छह महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से, वे अपनी उपस्थिति को मात्रात्मक रूप से बढ़ाने में सक्षम रहीं हैं। समाज के भीतर के राजनीति सुधारों ने महिलाओं को गुणात्मक रूप से समाविष्ट होने में सहायता प्रदान की है। इस दिशा में और अधिक सार्थक पहल करने के लिए समाज को पूर्वाग्रह के स्थान पर ठोस तार्किक आधार पर अधिक संगठित किया जाना चाहिए यानी और किसी तरह के लैंगिक पक्षपात से बचा जाना चाहिए। वस्तुतः आज हम सैद्धांतिक रूप से एक लिंगविहीन समाज में रहतें हैं, जो महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को सही मायने में सुनिश्चित करने के प्रति कृतसंकल्प प्रतीत होता है। लेकिन व्यावहारिक रूप से पितृसत्तात्मकता, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को गुणात्मक स्तर पर प्राप्त करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। अर्थात महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता आज भी कई दृष्टियों से वास्तविक से अधिक मिथक ही प्रतीत होती है।

संदर्भ

1. सबाइन एच, जॉर्ज और थोरसन एल, (1973), ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड एंड आई०बी०एच० पब्लिशिंग कंपनी प्रा० लिमिटेड
2. जोशी, पी० (1989), गांधी ऑन वीमेन, नई दिल्ली, नवजीवन प्रेस।
3. ग्रोवर, बी०एल०, ग्रोवर, एस० (2005), ए न्यू लुक एट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, नई दिल्ली, एस० चंद एंड कंपनी लि०।
4. बख्शी, पी०एम०, (2008) भारत का संविधान, नई दिल्ली, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी
5. उक्त
6. अग्निहोत्री, आई और मजूमदार, वी० (1995), "चेनिंग टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डिसकोर्स: वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया, 1970- 1990" इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, भाग XXX, अंक 29।
7. योगेन्द्र नारायण, (2005) "पॉलिटिकल इम्पोवरमेंट ऑफ वुमेन" जर्नल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एड्मिनिसट्रेशन, भाग LI।
8. www.firstpost.com/delhi/will-delhi-have-three-women-mayors-281487.html, अगस्त, 2012
9. द्रुड़ डेहलरअप (सं०), (2007), विमेन कोटा एंड पॉलिटिक्स, रूटलेज।
10. द्रुड़ डेहलरअप, (2005) "कोटा फॉर फास्ट ट्रैक टू इक्वल रिप्रजेंटेशन टू वीमेन", इंटरनेशनल फेमिनिस्ट जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स, भाग 7, अंक: 1।

11. www.deccanherald.com/content/3282/number-women-mps-goes-up.html, अगस्त, 2012

12. उक्त

13. राय, एस० एम० (1995), "वीमेन एंड पब्लिक पावर: वीमेन इन इंडियन पार्लियामेंट", आईडीएस बुलेटिन, भाग० 26, अंक 3.

14. राय, एस० एम० (1995), "वुमेन नेगोशिएटिंग बौण्ड्रिस: जेंडर, लॉ एंड द इंडियन स्टेट" सोशियल एंड लीगल स्टडीस, भाग 4, अंक 3।

15. रिपोर्ट ऑफ द जोइण्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन द कंस्टीट्यूशन (ऐटी फ़र्स्ट अमेंडमेंट) एक्ट, 1996।

16. http://www.deccanherald.com/content/3282/number-women-mps-goes-up.html, अगस्त, 2012।नवंबर *2016* को